हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड

हाँसी रोड़, भिवानी–127021

website : bseh.org.in e-mail : adew@bseh.org.in Ph : 01664-244171 to 244176, Extension-384

क्रमांक : 6941 /शैक्षिक

दिनांक : 7/02/19

सेवा में,

प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
हरियाणा प्रदेश।

विषय : डी.एल.एड./डी.एड. कोर्स प्रवेश वर्ष 2017–19 प्रथम वर्ष व 2016–18 द्वितीय वर्ष विद्यालय इण्टर्नशिप /अनुभव कार्यक्रम बारे।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लिखा जाता है कि डी.एल.एड./डी. एड. प्रवेश वर्ष 2017–19 प्रथम वर्ष व 2016–18 द्वितीय वर्ष के जिन छात्र–अध्यापकों का परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों में निर्धारित प्रपत्र पर व उनके संबंधित डी.एल.एड. शिक्षण संस्थानों से ऑनलाईन विद्यालय इण्टर्नशिप/अनुभव कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के विवरण मिलान नहीं हुए है, उन छात्र–अध्यापकों के प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा रोके गए है तथा उनके द्वारा दिनांक 11.02.2019 से 28.02.2019 तक राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय इण्टर्नशिप/अनुभव कार्यक्रम किया जाना है।

उक्त विद्यालय इण्टर्नशिप/अनुभव कार्यक्रम संबंधित डाईट के माध्यम से करवाया जाना है। जिन छात्र–अध्यापकों को पूर्व में गैर–राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय आबंटित थे, उन्हें जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) के माध्यम से राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आबंटन किया जाना है तथा जिन छात्र–अध्यापकों को पूर्व में राजकीय विद्यालय आबंटित है, ऐसे छात्र–अध्यापक पूर्व में आबंटित विद्यालय में ही विद्यालय इण्टर्नशिप/अनुभव कार्यक्रम करेंगे। संलग्न सूचि अनुसार जिन छात्र–अध्यापकों के 100/–रू0 प्रति छात्र–अध्यापक की दर से राशि जमा करवाई गई है, केवल उन्हीं छात्र–अध्यापकों को दिनांक 11.02.2019 से 28.02.2019 तक इण्टर्नशिप/अनुभव कार्यक्रम करवाए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अतः आप अपने जिले के अधीनस्थ सभी डी.एड. शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र–अध्यापकों को उक्त वर्णित अनुसार विद्यालय आबंटन करते हुए विद्यालय इण्टर्नशिप/अनुभव कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करेंगे।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

Rajesh Sr. 7/2/2019

सहायक निदेशक (शैक्षिक)
कृते : सचिव